उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-17/2024/आडिट-1-123/दस-2024-315(2)/15
लखनऊ ; दिनांक : 01 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक (वेतन बैण्ड-15,600-39,100 ग्रेड पे 6600, मैट्रिक्स लेवल-11) के रिक्त पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1	*2*	*3*
1	60	अनन्य कुमार सिंह
2	61	रवि कुमार श्रीवास्तव

2. पदोन्नत अधिकारियों को, योगदान देने की तिथि से ही उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के पद पर, पदोन्नत माना जायेगा।
3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों की प्रोन्नति के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।